

लोक-सभा वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५१, १९६१/१८८२ (शक)

[२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/६ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha



तेरहवां सत्र, १९६१/१८८२ (शक)

(खण्ड ५१ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. 78-025
Block 'B'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५१—अंक ११ से २०—२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/६
से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७६, ३८१ से ३८३ और ४०३ ६६७—१०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ से ३७२, ३८०, ३८४ से ४०२ और ४०४ से
४२५ १०१८—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ से ५५७, ५५६ से ६१२ और ६१४ से ६८३ १०६७—११३१

स्थगन प्रस्ताव—

कराची में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण ११३१—३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११३४

राष्ट्रपति से सन्देश ११३६—३७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वालों की हड़ताल ११३७

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ११३८

विधेयक प्रस्तुत किये गये— ११३८—३९

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक १९६१

२. विनियोग विधेयक, १९६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा ११३९—४१

श्री तंगामणि ११३९—४०

श्री विमल घोष ११४०—४१

सामान्य आय व्ययक (१९६१—६२)—उपस्थापित ११४१—६६

वित्त विधेयक, १९६१—पुरःस्थापित ११६६

निक संक्षेपिका ११६७—७८

अंक १२—बुधवार, १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४३० और ४३२ से ४३५ . . . ११७६—१२०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४३६ से ४७२ . . . १२०१—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८४ से ७०६, ७०८ से ७७७ और ७७९ से ७९८ १२२०—७३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२७३

राज्य सभा से सन्देश . . . १२७३

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १२७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . . . १२७४—७६

सदस्य द्वारा त्याग पत्र . . . १२७६

तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर में शुद्धि . . . १२७६—७७

विनियोग विधेयक १९६१—पारित किया गया . . . १२७७

आय व्ययक (रेलवे)—सामान्य चर्चा . . . १२७७—१३०२

आदिवासियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा . . . १३०२—०७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—

सत्तरवां प्रतिवेदन . . . १३०७

दैनिक संक्षेपिका . . . १३०८—१५

अंक १३—गुरुवार, २ मार्च, १९६१/११ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ से ४८३ . . . १३१७—४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . १३४०—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ और ४८४ से ५१५ . . . १३४३—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ८६१ . . . १३५६—६६

सदन में शिष्टाचार का पालन . . . १३६६—१४००

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १४००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में रहने वाले बंगालियों को मतदाता सूचियों में दर्ज करना १४०१—०२

	विषय सूची	पृष्ठ
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा		१४०२-३३
दैनिक संक्षेपिका		१४३४-४०
अंक १४—शनिवार, ४ मार्च, १९६१/१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१९, ५२१, ५२२, ५२४, ५४३ और ५२५		१४४१-६४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		१४६४-६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या ५२०, ५२३, ५२६ से ५४२ और ५४४ से ५६१		१४६६-८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९३७, ९३९ से ९६२ और ९६४ से ९७३		१४८५-१५२२
स्थगन प्रस्ताव—		
उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश		१५२२-२४
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१५२४-२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		
पटसन के मूल्यों में वृद्धि		१५२५
सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना		१५२६
सभा का कार्य		१५२७
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा		१५२७-४१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—		
सतत्तरवां प्रतवेदन		१५४१
कार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध संबंधी—		
संकल्प		१५४१-५४
सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ की कार्यवाहियों संबंधी संकल्प		१५५४-५९
दैनिक संक्षेपिका		१५६०-६६
अंक १५—गोमवार, ६ मार्च, १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक)		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ५६८, ५७०, ५७१, ५७४, ५७६ से ५८० और ५८२ से ५८७		१५६७-९५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५		१५९५-१६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६, ५७२, ५७३, ५७५, ५८१ और ५८८ से ६०४	१६०३—१२
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ११०६	१६१२—७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६७६—७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कांगों के लिये भारतीय सैनिक	१६७७—७९
अनुदानों की अनूपूरक मांगें (उड़ीसा) १६६०—६१	१६७९
राज्य सभा से सन्देश	१६७९
समिति के लिये निर्वाचन—	
दिल्ली विकास प्राधिकार की परामर्श परिषद	१६७९
रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा	१६८०—१७०१
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०१—१७
खंड २ से ४ तथा १	१७१७
पारित करने का प्रस्ताव	१७१७
दैनिक समवाय (संशोधन) विधेयक	१७१७—२३
विचार करने का प्रस्ताव	१७१७—२२
खंड २ से ६ तथा १	१७२२
पारित करने का प्रस्ताव	१७२२—२३
अनुदानों की अनूपूरक मांगें—रेलवे १६६०—६१	१७२३—२५
सभा का कार्य	१७२५—२६
दैनिक संक्षेपिका	१७२७—३५
अंक १६—मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
निधन संबंधी उल्लेख	१७३७—४३
दैनिक संक्षेपिका	१७४४
अंक १७—बुधवार, ८ मार्च, १९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६६२, ६६४ से ६६६, ६६८ से ६७२, ६७४, ६७५, ६७८ और ६७९	१७४५—६९

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६४६, ६५१ से ६५८, ६६३, ६६७, ६७३,
६७६, ६७७ और ६८० से ६९० १७७०—१८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ से १२१८ और १२२० से १३०१ १८०४—८३

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बद्रचक कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें १८८३—८६

पंडित गोवन्द बल्लभ के निधन पर प्रधान मंत्री का सन्देश १८८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन १८८८

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर आक्रमण के संबंध में वक्तव्य १८८८

रेलवे दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य १८८८—८९

औषधीय तथा प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित १८८९

सभा का कार्य १८८९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे), १९६०—६१ १८९०—९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा संबंधी संकल्प १८९६—१९०४

दैनिक संक्षेपिका १९०५—१६

अंक १८—गुहवार, ९ मार्च, १९६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२, ६९४ से ७००, ७०४, ७०६, ७०९ और ७११ १९१७—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७०१ से ७०३, ७०५, ७२० और ७१२
से ७२८ १९४३—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०२ से १३९९ १९५५—९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १९९४—९५

आंध्र प्रदेश में गुड़ के भाव में गिरावट के बारे में वक्तव्य १९९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९९५

राज्य सभा से सन्देश १९९५

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित १९९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा—संबंधी संकल्प १९९६—२००६

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य १९९९

विषय सूची	पृष्ठ
उड़ीसा के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२००७—२२
अनुदानों की मांग (रेलवे) १९६१-६२	२०२३—६०
दैनिक संक्षेपिका	२०६१—६७
 अंक १९—शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७३७	२०६९—९०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ से ७६५ और ६५०	२०६०—२१०२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०० से १४९३	२१०२—४१
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—	
रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण मृत्यु	२१४१
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के अनुपूरक प्रश्नों के बारे में	२१४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
धागर नदी में बाढ़	२१४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१४३—४५
सभा का कार्य	२१४५
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरस्थापन स्थगित	२१४५—४६
विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६१—गारित	२१४७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१-६२	२१४७—७२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अठत्तरवां प्रतिवेदन	२१७२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—	
(१) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, १९६१	२१७२
(२) श्री केशव का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ४ का संशोधन)	२१७३
(३) श्री अरविन्द घोषाल का राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक, १९६१ श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक	२१७३
प्रस्ताव करने का विचार (अस्वीकृत)	२१७३—८५

कार्य मंत्रणा समिति—

बासठवां प्रतिवेदन २१८६

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक श्री त० ब० विठ्ठल राव द्वारा (नये अध्याय
५क का रखा जाना) २१८६

विचार करने का प्रस्ताव २१८६

दैनिक संक्षेपिका २१८७—६४

अंक २०—सोमवार, १३ मार्च, १९६१/२२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६, ७७८, ७६७ से ७६९, ७७३ से ७७७, ७७९, ७८३
से ७८५, ७८७ और ७९२ २१९५—२२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ७७२, ७८० से ७८२, ७८६, ७८८ से ७९१
और ७९३ से ८०३ २२२०—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १५४०, १५४२ से १५५६, १५५८ और
१५५९ २२३०—६०

स्थगन प्रस्ताव—

१. चलती रेलगाड़ी से गिरने के कारण श्री के० रामाराव की मृत्यु २२६०—६२

२. रुद्रसागर में कथित दुर्घटना २२६२—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अदीस अबाबा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतें २२६३—६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२६५

प्राक्कलन समिति—

एक सौ आठवां प्रतिवेदन २२६५

लोक लेखा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन २२६६

समिति के लिये निर्वाचन—

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति २२६६

उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित २२६६—६७

कार्य मंत्रणा समिति—

बासठवां प्रतिवेदन २२६७

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१—६२ २२६७—२३२२

	विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित	. . .	२३२२
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—		
विचार के लिये प्रस्ताव	. . .	२३२२—२४
दैनिक संक्षेपिका	. . .	२३२५—३०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का घोटक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, ७ मार्च १९६१

१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

†अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता इस सम्बन्ध में कुछ कहें ।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं अत्यन्त खेद के साथ सभा को पंत जी की मृत्यु की, जो आज प्रातः ८-५० बजे हुई है, दुःखद सूचना देता हूं तथा उनके लम्बे और त्यागमय जीवन में किये गये महान कार्यों के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं ।

पिछले कुछ दिनों से जब से वे रोगी हुए सभी लोग बहुत चिन्तित थे, क्योंकि इस रोग के प्रारम्भ से ही बहुत से लोगों को यह दुःखद आशंका हो गई थी कि वह नहीं बच सकेंगे । यद्यपि उनका शरीर कई अक्षमताओं का शिकार होने के कारण दुर्बल था तथापि उनका गठन इतना सुदृढ़ था कि वे १४ दिनों तक अचत रहे । उन्होंने देश के प्रति जो सेवायें कीं, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में बहुत कम लोग उनका मुकाबला कर सकेंगे ।

जहां तक मैं जानता हूं वे ४५ वर्षों से सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे थे और १९१६ में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे । साइमन कमिशन का विरोध करते समय उन पर जो लाठियों की मार पड़ी उससे उनके शरीर को स्थायी क्षति पहुंची । तथापि उनकी आत्मा को इससे और अधिक बल मिला ।

१९२३ में तत्कालीन संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् में जाकर उन्होंने विधान-कार्य के क्षेत्र में प्रवेश किया । वहां वे विरोधी दल अर्थात् स्वराज पार्टी के नेता चुने गये । १९३४ में वे केन्द्रीय विधान सभा में चुने गये और विरोधी पक्ष के उपनेता बने । उस समय का उनका कार्य इतना प्रसिद्ध है कि जब कभी वे बोलने को खड़े होते थे तो सरकारी पक्ष के सदस्य हताश हो जाते थे । तथ्यों को संग्रहीत कर उन्हें सभा के सम्मुख रखने की कला में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

१९३७ में वह केन्द्रीय विधान सभा को छोड़ कर संयुक्त प्रान्त के मुख्य मंत्री बने। इस पद पर वह १९३९ तक और पुनः १९४६ स १९५४ तक रहे। उन्होंने राज्य के कार्यों का संचालन बहुत योग्यता और बुद्धिमानी से किया तथा प्रधान मंत्री के अनुरोध पर जनवरी, १९५५ में केन्द्रीय सरकार में आ गये। उस समय से वे अपनी योग्य सलाहों, वाक्चातुर्य तथा प्रत्येक समस्या के प्रति गहरे विचार के कारण अपने दल तथा सरकार के लिये सुदृढ़ स्तम्भ के समान रहे। मुझे आश्चर्य होता था कि वे बिना नोट किये हुए किस प्रकार प्रत्येक बात को याद रख सकते हैं। लिखित भाषण देने वाले भी कुछ बातें भूल जाते हैं तथापि उन्हें सभी बातें क्रमवार याद रहती थी।

इस सभा, सरकार तथा कांग्रेस में वे एक मजबूत स्तम्भ की तरह थे उनका स्थान सदैव खाली रहेगा। पंत जी के रूप में देश ने एक बहुत बड़ा देशभक्त, जिसने अपना सारा जीवन स्वतन्त्रता संग्राम में तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में लगाया, खो दिया है। मैंने उन्हें कभी भी हिम्मत हारते हुए नहीं देखा। मैं १९३७ से उनके सम्पर्क में आया मुझे सदैव उनका प्रेम मिला तथा मैं उनकी उन बुद्धिमत्तापूर्ण सलाहों को नहीं भूल सकता जो वे सदैव मुझे या औरों को देते रहे थे। हम सदैव उनको याद करते रहेंगे। उन्होंने हमारे तथा देश के लिये जो कुछ भी किया वह हमें सदैव याद रहेगा। उनका जीवन महान था तथा वे ऐसी बौद्धिक परम्परायें छोड़ गये हैं जिनका यदि हम अनुकरण करें तो हम भी निःसंदेह अपना जाग वृद्धन कर सकते हैं।

श्रीमन् मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने इस सभा, राज्य सभा, सरकार तथा देश की जो बहुमूल्य सेवाओं की हैं उन्हें आप सरकारी अभिलेख में अंकित करवायें।

†श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई नगर-मध्य) : पंत जी की स्मृति के रूप में हम भारतीय जनता तथा कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजी राज के विरोध में प्रारम्भ किये गये स्वतन्त्रता आन्दोलन के एक बड़े योद्धा को श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहे हैं। तथा इस संग्राम का चिह्न न केवल लोगों की स्मृति में था अपितु स्वयं उनके शरीर में भी विद्यमान था। वस्तुतः वह स्वयं स्वतन्त्रता की आत्मा के प्रतीक थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विशेषतः जीवन के पिछले दिनों में उन्हें भारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ीं। इस बात से सभी अवगत हैं कि गृह-मंत्री के पद पर रह कर लोकप्रिय भी बने रहना बहुत कठिन है। उनकी यह विशेषता रही कि काम करते हुए भी उन्होंने कोई कटुता नहीं छोड़ी। उनमें यह विशेषता थी कि वे विभिन्न परिस्थितियों में लोगों को मिलाये रख सकते थे और विभेदों के बावजूद में उन्हें पृथक नहीं होने देते थे। हमारे पारस्परिक मतभेद होने पर भी हममें आपस में कटुता नहीं आई। यह उनका सब से बड़ा गुण था जिसके कारण वे इतने लोकप्रिय थे। वे छोटे विषयों के सम्बन्ध में भी जानकारी रखते थे। इसका मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूँ। १९२८ में जब मैं संयुक्त प्रान्त में सजा काट रहा था तो मैंने अपने जेल सम्बन्धी अनुभव लिखे। तत्कालीन सरकार ने इन व्यक्त बातों पर रोष प्रकट किया। उस समय विधान परिषद् में उन्होंने मेरी ओर से सफाई पेश की थी।

इस प्रकार न केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी में अपितु कई अन्य प्रकार से भी मेरे उनके साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रहे। राष्ट्र न केवल स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में उनकी सेवायें याद करेगा अपितु बाद के दिनों की सेवायें भी याद करेगा जबकि वे स्वतन्त्रता को मजबूत बना कर देश का विकास करना चाहते थे। उनकी स्मृति के प्रति हम सदैव श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते रहेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अशोक मेहता (मुजफ्फरपुर) : पंत जी के निधन से जो दुःख तथा अभाव मालूम हो रहा है उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे पंडित मोती लाल नेहरू की मृत्यु पर श्री गांधी जी द्वारा कहे गये शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि जिब्राल्टर की चट्टान टूट गई। जैसाकि प्रधान मंत्री ने भी एक अवसर पर कहा था पंडित गोविन्द वल्लभ पंत एक लंगर के ममान थे। तूफानी समुद्र में जबकि हमारी यात्रा भयावह खतरों से भरी हुई है, तब हम स्वभावतः ही उनकी ओर ही देखते थे। सुरक्षा तथा पथ प्रदर्शन के लिये हमें उनका ही भरोसा था। विरोधी पक्ष के लोगों को भी उनका सहारा था। उनका व्यक्तित्व महान और लोकप्रिय था। जब भी हम अपनी शंकाओं, चिन्ताओं तथा कठिनाइयों को लेकर जाते थे, तब हमें न केवल स्वागत मिलता था अपितु उनकी विवेकपूर्ण सलाह भी मिलती थी और हम यह अनुभव करते थे कि हम जैसे अपना दुःख और चिन्तायें उसके पास छोड़ आये हैं। हमारा दुःख वह स्वयं लेने को तैयार हो जाते थे, वस्तुतः शरीर मन और आत्मा से इतना महान व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है।

मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला, हमारे देश में हाने वाली कई गलत बातों के कारण जिसके जिम्मेदार हम हैं, उनका हृदय दुःख से भरा हुआ था। तथापि उन्हें देश के भविष्य और जनता के प्रति अटूट विश्वास था। हमें उनका यह दुःख और यह विश्वास सदैव याद रहेगा। वह स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत की तरह थे। उन्हें हमारी स्वतन्त्रता को सुदृढ़ बनाने का सौभाग्य प्राप्त है।

यद्यपि वे चले गये हैं तथापि अपने महान व्यक्तित्व तथा सेवा के बल पर वे जिस प्रकाश को और तेज कर गये हैं उसे वे लोग उठाये रखने का प्रयत्न करेंगे जो उनको स्मरण करते रहेंगे।

†श्री रंगा (तेनालि) : सभा के नेता तथा माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है मैं उसका समर्थन करता हू। पंत जी के निधन से निःसंदेह हम लोग एक बहुत बड़ा अभाव अनुभव करते हैं। हम पिछले ३५ वर्षों से मित्रों, सहयोगियों तथा एक कुटुम्ब के सदस्यों की तरह साथ रहे थे। उनका आदर पाना हम अपना सौभाग्य समझते थे। वे एक महान व्यक्ति और एक सयाने सलाहकार थे। निःसंदेह वे राजनैतिक मतभेद स्वीकार करते थे तथापि उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत विभेदों को प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्हें सब से प्रेम करने की महान् क्षमता थी। उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल और भूलाभाई देसाई के अनुगामी के रूप में अपना ज्वलन्त दृष्टांत रखा। उन दिनों में हम सब ने, आपने तथा सेठ गोविन्द दास ने भूलाभाई के नेतृत्व में काम किया। उन्होंने हमारा नेतृत्व कर भूलाभाई देसाई को इस सभा तथा इसके बाहर भी अग्रजों को दूर रखने में सहायता की। मैंने कई अवसरों पर जब मैं कांग्रेस में था या उससे बाहर था उनकी सलाह ली। वे सदैव समस्याओं को इस प्रकार देखते थे जैसा मैं एक बड़े भाई या पिता से आशा कर सकता हूँ। उन्होंने सदैव स्थिति के उपयुक्त सही सलाह दी, मेरे विचार से अधिकांश मित्रों का जो उनके सम्पर्क में आये यही मत होगा।

उन्होंने जनता की, विशेषतः उत्तर प्रदेश की, तथा इस संसद् के द्वारा देश की बड़ी सेवा की। जब वे पिछली बार बीमार पड़े थे हम तभी निराश हो गये थे, और इस बार तो हम लगभग आशा छोड़ चुके थे, तथापि मैंने भी अपने करोड़ों देशवासियों के साथ यह प्रार्थना की थी कि वे कुछ और और समय तक जिन्दा रहते। भगवान् ने इन दस दिनों तक उन्हें इस कारण जीवित रखा कि हम उनके बारे में सोचें और उस भयंकर आघात के लिये जोकि हम पर होने वाला है अपने को तैयार

[श्री रंगा]

करें। मैं समझता हूँ कि पन्त जी की मृत्यु के दुखद समाचार पर देश अभी विश्वास भी नहीं कर सकेगा।

†श्री शिव राज (विंगलपट-रक्षित-अनुसूचित जातियाँ) : मैं अपनी ओर से तथा रिपब्लिकन दल के संसदीय दल की ओर से भी सभा के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से सहमत हूँ। मैं सर्वप्रथम १९४५ की वेवल कान्फ्रेंस के अवसर पर, जो शिमला में हुई थी श्री पंत के सम्पर्क में आया। कुछ ही दिनों में मेरे मन में उनके प्रति यह धारणा बन गई—और समय बीतने पर वह निरन्तर मजबूत होती गयी—कि पंत जी बहुत योग्य आदमी हैं उनमें विचारों की अभिव्यक्ति और स्पष्टता का अद्वितीय गुण है। वेवल कान्फ्रेंस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर भी उन्होंने राजा जी जैसे विद्वानों को भी सुन्दर ढंग से उपयोगी सुझाव दिये थे। एक विशेष बात यह थी कि मैंने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। विदा लेते समय उन्होंने मुझसे कई व्यक्तिगत बातें पूछीं। और कहा कि शिवराज यदि कभी तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। उस समय वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे।

मैं उन भावनाओं को दोहराने में जिन्हें सभा ने व्यक्त किया है अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी हाल में देखा था अर्थात् वह दृष्टिकोण जोकि उन्होंने उन कई समस्याओं को हल करने के सिलसिले में अपनाया था जोकि उनके समक्ष कई व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा रखी गयी थी। उन्होंने इस सभा में भी एक बार कहा था कि समस्याओं को हल करने या शिकायतें दूर करने के लिये माननीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। इससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों को, जो उनके प्रशासन के दिनों उनके प्रभार के अधीन थीं, उनके इस दृष्टिकोण का लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार समस्याओं के सुधार के सम्बन्ध में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिये भी एक शानदार दृष्टांत कायम किया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से यह अनुरोध करता हूँ कि आप उनके संतप्त परिवार को हमारी संवेदना पहुंचा दें।

†श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा है कि इन अवसरों पर हम अपने भावों को लिये उचित शब्द नहीं ढूँढ सकते हैं। मुझे २० वर्ष तक पंत जी के कई मौकों पर काम करने का सौभाग्य मिला है। हमारे मतभेदों के बावजूद भी जो अनिवार्य थे मैं उनका न केवल अधिक आदर करने लगा अपितु उनसे स्नेह भी करने लगा।

उनकी बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा करना लगभग असंभव है। मैं उनके दो अद्वितीय कार्यों के दृष्टांत रखना चाहता हूँ। उनके सम्बन्ध में मैं भी घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहा। सभा को महत्वपूर्ण राज्य पुनर्गठन विधेयक के सम्बन्ध में याद होगा। हमें उनके कार्य को देख कर आश्चर्य होता था। हम में से उसके कई उपबन्धों को जानते थे तथापि हम में से यह आशा किसी को भी नहीं थी कि पंत जी उसके सभी उपबन्धों को भलीभाँति जानते हैं। हमारी वार्ता जो लगभग १५ दिनों तक चली उसमें चार सचिव उनकी सहायता के लिये थे। तथापि उन्होंने कभी भी उनका उल्लेख नहीं किया। उन्हें न केवल प्रशासनिक वित्तीय संवैधानिक उपबन्ध मालूम थे अपितु उन्हें प्रत्येक शब्द की परिभाषा और अर्थ भी मालूम था।

†मूल अंग्रेजी में

वे सरकारी भाषा की संसदीय समिति के भी अध्यक्ष थे । अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन में मैंने ऐसी कोई समिति नहीं देखी जिसमें मतों की इतनी विपरीतता हो । केवल पंत जी अपनी बुद्धिभानी, धैर्य और सहनशीलता से समिति को किसी निर्णय तक पहुंचा सके थे । हम पंत जी को कोई स्थान नहीं दे सकते हैं । यह कार्य इतिहास करेगा । मेरे विचार से इतिहास पंत जी को इससे कहीं अधिक ऊंचा स्थान देगा जो हम आज पंत जी को दे रहे हैं । भगवान् उनकी आत्मा को शान्ति दे ।

†**आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी)** : हमारे प्रिय नेता के विषय में जो कुछ भी कहा गया है मैं उससे सहमत हूँ । मेरा उनसे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों से ही सम्पर्क रहा । कई बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं । उनकी मृत्यु से न केवल राष्ट्र की हानि हुई है अपितु मेरी व्यक्तिगत हानि भी हुई है अतः ऐसे समय उनके हृदय और मस्तिष्क की विशेषताओं को वर्णन करने के लिये मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं ।

पंत जी के रूप में हमने एक महान् देशभक्त, एक महान् पथ प्रदर्शक और एक महा संसद्शास्त्री खो दिया है । वह कभी घबराते नहीं थे तथा सभी को प्रिय थे अतः हमारी बहुत अधिक क्षति हुई है और मैं उनकी स्मृति को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

†**श्री महन्ती (ढेंकनाल)** : मैं अपने तथा अपने दल की ओर से सभा में व्यक्त की गयी भावनाओं का समर्थन करता हूँ । मृत्यु के सम्मुख दलगत विभद सब नष्ट हो जाते हैं । अतः मैं उनकी स्मृति के प्रति एक नागरिक और व्यक्ति के रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

वह एक महान् देशभक्त और विशिष्ट प्रशासक थे । सभा की गर्मागर्म चर्चाओं के बीच भी वे जिस प्रकार शिष्टता, दिलचस्पी, नम्रता और गरिमा से पेश आते रहे वह उनकी वाक् पटुता का प्रमाण है । ऐसे अवसरों पर हमारी स्मृति के कई परिच्छेद हमारे समक्ष स्पष्ट होने लगते हैं । मुझे एक घटना याद है जब मुझे एक अन्य राज्य सरकार द्वारा परेशान किया गया था । मैंने उनकी राय ली । उन्होंने यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से सामान्य विधि में हस्तक्षेप होने की सम्भावना है, उन्होंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि राजनैतिक विभेदों का राजनीति के स्तर पर ही फैसला किया जाये न कि विधि स्तर पर । किसी भी मापदण्ड से एक महान् व्यक्ति थे । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे सार्वजनिक जीवन का प्रकाश चला गया और उसी अंश तक इस सभा से भी ज्योति उठ गयी ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर)** : दलगत विभेदों के बावजूद भी सभा के प्रत्येक पक्ष ने जो भावना व्यक्त की है मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ । मैं उनके सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूँ जिसे लोग उतनी अच्छी तरह नहीं जानते हैं । हम लोगों में से वे लोग जिन्होंने क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया है, उनके हृदय की उदारता और उनकी दूरदर्शिता से भली भांति परिचित हैं ।

वे हमसे कभी सहमत नहीं हुए, अपितु वे हमारे कार्यों के लिये हमें धमकाते भी रहे तथापि उन्होंने हमें अपने कार्य में सहायता देने से कभी मना नहीं किया । निस्सन्देह राष्ट्र पिता तथा अहिंसा के पथ का पथिक होने के नाते, वे कभी हमारी कार्य प्रणाली से सहमत नहीं हुए । तथापि हमें यह विश्वास था कि संकट के समय हम इन पर भरोसा कर सकते हैं ।

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

वे इतिहास में अपना स्थान बना गये हैं। यदि वे जीवित होते तो शायद यह कहना पसन्द नहीं करते कि उनके स्थान की पूर्ति कभी नहीं होगी। तथापि उनके साथी तथा और भी जो उनके सम्पर्क में आये, वे उस क्षति को नहीं भूल सकेंगे जो उनके निधन के कारण हुई है।

श्री बजरज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में घने अन्धकार की छाया में एकत्र हुए हैं। मुझे जैसी लोगों को, जिन्होंने इस दुनिया में जन्म उस वक्त पाया जिस वक्त पन्त जी राष्ट्रीय आन्दोलन के एक खम्भ के रूप में थे, यह जान कर विशेष चिन्ता होती है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के खम्भ एक के बाद एक उठते चले जा रहे हैं। पन्त जी एक बड़े संगठनकर्ता, संसदीय विशेषज्ञ और प्रशासक थे। एक ऐसे महान् पुरुष थे, जिनको कभी कोई व्यक्ति, जिससे उनका सम्पर्क हुआ हो, भूल नहीं सकता। मुझे आश्चर्य होता था उनकी स्मरण शक्ति को देख कर कि इतने महान् पुरुष हर सम्पर्क को कैसे याद रख सकते हैं, और यह बात न केवल मैं कह रहा हूँ, बल्कि उत्तर प्रदेश के वे सभी लोग जानते हैं जिन पर उन्होंने दसियों वर्षों तक मुख्य मन्त्री के रूप में काम किया। पन्त जी को उत्तर प्रदेश के हर घर में जाना जाता था। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी और हमारे प्रधान मन्त्री के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति शायद पन्त जी ही थे जिन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश के हर घर के लोग जानते थे। मैं तो समझता हूँ कि शायद सारे भारत में ही यह बात रही हो।

जिस वक्त उन्हें पहला धक्का लगा आज के १५ दिन पहले, तभी देश में इस तरह की आशंकायें प्रकट की जाने लगीं कि सम्भवतः वे अपनी इस भयानक बीमारी से छुटकारा न पा सकें, और तभी से मुल्क में चिन्तायें थीं इस बारे में कि कहीं हमें ऐसे महान् व्यक्ति से हाथ न धोना पड़े। आज हमें वही खबर सुनने को मिली कि पन्त जी दुनियां में नहीं रहे। मैं यही कह सकता हूँ कि पन्त जी के जाने से देश के राष्ट्रीय जीवन में जो क्षति हुई है वह सम्भवतः भरी नहीं जा सकेगी। दुःख है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के खम्भ जब एक के बाद एक उठते चले जा रहे हैं तो उनके स्थान को भरने के लिये उसी स्तर के लोग उठ नहीं रहे हैं। एक दिन तो सभी को जाना होता है, लेकिन देश की उन्नति के लिये, उत्थान के लिये यह आवश्यक होता है कि जो आत्मायें हमारे बीच में से उठें, उनका स्थान भरने के लिये दूसरे लोग भी तैयार रहें। वास्तव में मुझे दुःख है कि अपने राष्ट्रीय आन्दोलन की उस परम्परा को आज के विकास के युग में हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत आत्मा के लिये अपनी तुच्छ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपके द्वारा, कि वह दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शान्ति प्रदान करें।

श्री वाजपेयी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिमालय के समान दृढ़ और समुद्र के समान गम्भीर पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त भारत की उन महान् विभूतियों में से थे, आगे आने वाली सन्तति जिन के जीवन से सदैव प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। संघर्ष में या शान्ति में उन्होंने सदैव राष्ट्र का सफल नेतृत्व किया। पहले प्रदेश में और पश्चात् सम्पूर्ण देश में अपनी असाधारण प्रतिभा से, अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य से और प्रशासन कुशलता से उन्होंने हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित किया और शरीर का कण कण तथा जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र की सेवा के लिये समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमारे लिये मार्गदर्शन का काम करेगा। स्वतन्त्रता की प्राप्ति और स्वतन्त्रता को अपरत्व प्रदान करने में उनका महान् योगदान इतिहास में स्मरणीय रहेगा। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिये हमें शक्ति प्रदान करे।

†अध्यक्ष महोदय: श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी के जीवन और सेवाओं के सम्बन्ध में जो भावनाएँ व्यक्त की गयी हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। उनके रूप में हमने भारत की स्वतन्त्रता का एक महान् निर्माता खो दिया है। मेरा पन्त जी के साथ १९३५ से सम्पर्क रहा है जबकि कांग्रेस ने सर्वप्रथम केन्द्रीय विधान सभा के लिये चुनाव लड़ने का निश्चय किया था और हम दोनों विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे दल के उपनेता बनाये गये। तत्कालीन सरकार उनकी राय का बहुत आदर करती थी। वे बहुत शीघ्र एक महान् संसद् शास्त्री सिद्ध हुए। बिना किसी कटुता या अपशब्दों के वे अपने विधेयों का उत्तर देते थे। उनके तर्क अकाट्य होते थे और इसलिये उनके विरोधी भी उनका बहुत आदर करते थे। संसद् में आने के पश्चात् वे हमारे लिये बड़े सहायक सिद्ध हुए तथा जब भी कोई जटिलता पैदा होती थी संसद् सदैव उनसे हल की अपेक्षा करती थी। स्वास्थ्य खराब होते हुए भी उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक त्याग और सेवा करने में कभी मूंह नहीं मोड़ा। गृह-मन्त्री के रूप में यद्यपि उन्हें कभी कभी अरुचिपूर्ण कार्य भी करने पड़े तथापि उन्होंने अपनी सुदृढ़ता और लोकप्रियता कायम रखी। हम उनकी मृत्यु पर अत्यन्त खेद प्रगट करते हैं। सभा मेरी इस बात का समर्थन करेगी कि हम उनके संतप्त परिवार को अपनी समवेदना भेजें। अब मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे एक मिनट के लिये मौन खड़े हों।

सभासद एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

†अध्यक्ष महोदय : उनके प्रति आदर प्रगट करने के लिये यह सभा अब स्थगित होती है। सभा कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होगी।

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, ८ मार्च १९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

१७३७—४३

सर्वश्री मोरारजी देसाई, श्रीपद अमृतडांगे, अशोक मेहता, एन श्री रंगा, श्री शिव राज, फ्रैंक एन्थनी आचार्य कृपालानी, सुरेन्द्र महन्ती, त्रिदिब कुमार चौधरी, ब्रजराज सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी और अध्यक्ष महोदय ने श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, गृह-कार्य मन्त्री, के देहावसान का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे और सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई ।

बुधवार, ८ मार्च, १९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि :

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर अग्रेतर चर्चा । उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के बारे में सरकारी संकल्प पर चर्चा ।